भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 559
मंगलवार, 03 फरवरी, 2026/14 माघ,1947 (शक) को उत्तरार्थ
बहु-राज्य सहकारी समितियों का पंजीकरण

+559. डॉ० भोला सिंह

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2023 में संशोधन के बाद बहु-राज्य सहकारी समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया में कोई बदलाव हुआ है; तथा

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ख): i. 2023 में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन के बाद बहु-राज्य सहकारी समितियों की पंजीकरण प्रक्रिया को सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है।

ii. केंद्रीय पंजीयक द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन के निपटान की समय अवधि 4 महीने से घटाकर 3 महीने कर दी गई है।

iii. हालांकि, आवेदन में गलतियों को सुधारने के लिए आवेदक के अनुरोध पर समय अवधि को और दो महीने (अधिकतम) तक बढ़ाया जा सकता है।

****